

अध्याय 5

वित्तीय मध्यस्थता

वित्तीय बाजार भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। वर्ष 2013-14 में उनका कार्य-निष्पादन अधिकांश मध्यवर्ती संस्थाओं के विकास में पिछले वर्षों की तुलना में आए धीमेपन को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा, बैंकिंग क्षेत्र में परिसंपत्तियों की गुणवत्ता को लेकर चिंताओं में बढ़ोतरी हुई। भारत सरकार ने संगत बाजार विनियामकों के साथ मिलकर वित्तीय समावेशन और उपभोक्ता संरक्षण सहित इन चुनौतियों का सज्जान लिया और वित्तीय बाजारों में नई चेतना फूंकने की दृष्टि से कई नीतिगत पहलें की। पीएफआरडीए अधिनियम तथा 2013-14 में एफएसएलआरसी रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण वित्तीय क्षेत्र के दूसरे चरण के सुधारों की दिशा में एक अहम मील का पत्थर है।

5.2 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उसकी वित्तीय प्रणाली एक अहम बुनियादी विकास आधार है। इसके केंद्र में संगठित वित्तीय व्यापार का कामकाज है। इन बाजारों से सरकार तथा बड़ी फर्मों द्वारा सीधे संसाधन जुटाया जाता है। कतिपय परिवार सीधे इस बाजार में निवेश करते हैं। वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाएं अन्य परिवारों को बाजार से जोड़ती हैं। वित्त यह निर्धारित करता है कि इस निवेश का आवंटन कार्य कौशल की दृष्टि से कैसे किया जाए। अतः वित्तीय पद्धति को मजबूत करने की अपेक्षा के अनुसार सोच-विचार करने के बाद उपाय किए गए हैं और वैश्विक वित्तीय प्रणाली की सर्वोत्कृष्ट पद्धतियों को अपनाया गया है।

5.3 वित्तीय क्षेत्र सुधारों की रफ्तार वित्तीय नवोन्मेष के साथ-साथ नहीं बढ़ती है। भारत में विनियामक दृष्टिकोण घटनाओं पर कार्रवाई करने का रहा है न कि सकारात्मक रहते हुए उनका पूर्वानुमान करने का।

5.4 तेजी से बदलते हुए विश्व में, वित्तीय नीति को भविष्य के उस भारत जो उसका जनमानस बनाना चाहता है, की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की जरूरत है। सकारात्मक उपायों की अगली लहर संस्थागत बुनियादी ढाँचे की मजबूती से गुजर कर जाएगी, जिसमें संगठन तथा कानून दोनों शामिल होंगे और वित्तीय प्रक्रियाओं में सुधार और परिमार्जन करते हुए तथा सोच-विचार करके लिए गए नीतिगत निर्णयों से एक ऐसे वैश्विक भारत का सृजन होगा जिसमें अधिक सुस्पष्टता, सुसंगतता और पारदर्शिता होगी। यह अध्याय भारतीय वित्त क्षेत्र की हाल की घटनाओं और वैश्विक वित्तीय प्रणाली के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले गतिशील वित्तीय क्षेत्र के निर्माण में आने वाली चुनौतियों और अवसरों को रेखांकित करता है।

बैंक क्रेडिट	(प्रतिशत)	
	2012-13	2013-14
(क) खाद्य क्रेडिट	14.1	13.9
(ख) गैर-खाद्य क्रेडिट	18.6	2.1
आैसत जमा राशि	14.0	14.2
(क) मांग जमा राशि	5.9	7.8
(ख) समय जमा राशि	15.2	14.8
निवेश	15.4	10.3
(क) सरकारी प्रतिभूति	15.5	10.4
(ख) अन्य अनुमोदित	-11.5	-33.6

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

सारणी 5.1 : क्रेडिट जमा राशि तथा निवेश की संवृद्धि दर

बैंक क्रेडिट

कुल जमा, बैंक क्रेडिट, एवं निवेश

5.5 कुल जमा की संवृद्धि दर पिछले वर्ष की 14.2 की तुलना में 2013-14 में संतुलित होकर 14.1 हो गई (सारणी 5.1)। यह बढ़ोतरी मुख्यतः अनिवासी भारतीयों के द्वारा जमा की राशि में एक बड़ी अभिवृद्धि के कारण हुई। बैंक क्रेडिट में बढ़ोतरी 2012-13 में 14.1% की तुलना में 2013-14 में 13.9% तक बढ़ी। गैर-खाद्य क्रेडिट संवृद्धि 14% की तुलना में 14.2% हो गई। क्रेडिट संबद्ध उच्च जमा राशि पिछले वर्ष के 77.9% की तुलना में मार्च 2014 के अंत तक कुछ कम होकर 77.8% हो गई (चित्र 5.1)

5.6 वित्त वर्ष 2013-14 दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों द्वारा बैंक क्रेडिट में बढ़ोतरी दर्ज की गई जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों में मंदी थी। सरकार में व्यवसायिक बैंक निवेश पिछले वर्ष के 28.0% की तुलना में मार्च 2014 के अंत में 26.9% पर था जो कि धीमापन दर्शाता है। परिणामस्वरूप मार्च 2013 के अंत में 29.7% का निवेश जमा अनुपात मार्च 2014 के अंत में कम होकर 28.7% हो गया (चित्र 5.2)


अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की ब्याज दरें

5.7 भारतीय रिजर्व बैंक ने थोक मूल्य सूचकांक महंगाई दर में कमी होने के कारण 2013-14 की प्रथम तिमाही के दौरान मुद्रा नीति में कमी की तथा 3 मई 2013 को रेपो दर में 25 बेसिस पाइंट की कटौती करते हुए उसे 7.25% कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2013-14 की द्वितीय तिमाही में 15 जुलाई 2013 को घोषित अपनी मुद्रा नीति में असाधारण बढ़ोतरी की ताकि विदेशी मुद्रा में अत्यधिक अस्थिरता से निपटा जा सके। विदेशी मुद्रा में स्थिरता आने पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 20 सितम्बर, 2013 से धीरे-धीरे अपने असाधारण उपायों को वापस लेना आरंभ कर दिया। ब्याज दर को सामान्य मुद्रा नीति के अनुरूप बनाने का कार्य मार्जिनल स्टैण्डिंग फेसिलिटी रेट (एमएसएफ) के साथ तीन चरणों में 10.25% से 8.75% करते हुए पूरा किया गया जबकि महंगाई दर में कमी लाने की दृष्टि के साथ-साथ रेपो दर को 25 बेसिस पाइंट के दो मर्तबा किए उपाय से बढ़ाकर उसे 7.75% कर दिया गया। मुद्रास्फीति के उच्च स्तर तथा स्फीति की संभाव्यता के महेनजर जनवरी 2014 में मुद्रा नीति दर में 25 बेसिस पाइंट की बढ़ोतरी करते हुए उसे 8% कर दिया गया।

घरेलू आवधिक जमा तथा उधार की ब्याज दर


5.8 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने इस नीतिगत उपाय की प्रतिक्रिया में अपने जमा तथा उधार की ब्याज दर समायोजित की (सारणी 5.2)। वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 की प्रथम तिमाही के दौरान मुद्रा नीति में राहत के कारण बैंकों द्वारा बकाया रूपये के आधार पर औसत भारित उधार की ब्याज दर में 2013-14 की पहली तिमाही में क्रमशः 37 बेसिस पाइंट और 7 बेसिस पाइंट की कमी आई जबकि मध्यम अवधि के जमा दर में 32 बेसिस की बढ़ोतरी हुई। (सारणी 5.3)

5.9 वर्ष 2013-14 की द्वितीय तिमाही में आरबीआई द्वारा उठाए गए असाधारण कदमों के कारण सितंबर, 2013 तक जमा तथा उधार की ब्याज दरों में मजबूती आई। वर्ष के दौरान ब्याज की आधार दर अनुदार बनी रही जबकि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की मध्यम अवधि दर में 35 बेसिस पाइंट की बढ़ोतरी हुई। बैंकों की जमा तथा ब्याज के उधार पर मुद्रा नीति का मुद्रा बाजार दर नीति की तुलना में कम असर होता है जोकि क्रेडिट बाजार की संरचनात्मक कठोरता का प्रदर्शित करता है। क्रेडिट बाजार पर मुद्रानीति के सीधे-सीधे असर के सम्मुख अवरोध बनने वाले तत्वों में नियत जमा



स्रोत: आरबीआई

चित्र 5.1 : क्रेडिट जमा अनुपात



स्रोत: आरबीआई

चित्र 5.2 : निवेश जमा अनुपात

	(प्रतिशत)	
	मार्च '13	मार्च '14
मध्यम अवधि जमा दरें	7.42	7.74
मध्यस्थ आधार दर	10.20	10.25

स्रोत: आरबीआई

टिप्पणी: आरबीआई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं।

सारणी 5.2 : एससीबी की जमा और उधार की ब्याज दर (आरआरबी के अलावा)

	(प्रतिशत)	
	मार्च '13	मार्च '14
बकाया रूपया	12.27	12.19
ऋण		
नया रूपया ऋण	11.53	11.64

स्रोत: आरबीआई

सारणी 5.2 : भारित औसत उधार की ब्याज दर (डब्ल्यूएलआर)

राशि पर पुनर्मूल्य निर्धारण की कठोरता, सरकारी उधार की सीमा, एनपीए, उच्च मुद्रास्फीति तथा पर्याप्त अनौपचारिक वित्त शामिल हैं।

अनिवासी भारतीयों के लिए ब्याज दरें

5.10 जमा राशि के प्रकार के आधार पर अनिवासी भारतीयों के लेखा पर लागू होने वाले ब्याज की दरों की दो सीमाएं हैं। अनिवासी (बैंक) विदेशी मुद्रा पर ब्याज दर [एफसीएनआर(बी)] आरबीआई द्वारा अभी तक विनियमित की जाती है। एफसीएमआर(बी) 1-3 वर्ष हेतु दर अपरिवर्तित रही। विदेशी मुद्रा दबाव के महेनजर आरबीआई ने 3-5 वर्ष की समाप्ति अवधि जमा पर अगस्त 2013 में लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट से 100 बेसिस पाइंट से 400 बेसिस पाइंट बढ़ाती की। इन कदमों को मार्च 2014 में वापस ले लिया गया।

क्रेडिट का क्षेत्र-वार प्रयोग

5.11 2013-14 में उपलब्ध 47 बैंकों का कुल बैंक क्रेडिट क्षेत्रीय प्रस्तरण का गैर-औसतन डाटा लगभग 95 प्रतिशत बैंक क्रेडिट तथा गैर-खाद्य क्रेडिट यह दर्शाता है कि प्रमुख क्षेत्रों में से कृषि, सेवाएं, प्राथमिकता क्षेत्र में 2012-13 की तुलना में उच्च संवृद्धि हुई है जबकि उद्योग के लिए 2012-13 की तुलना में कमी आई है। (सारणी 5.4)

	(प्रतिशत)	
	2012-13	2013-14
कुल बैंक क्रेडिट	13.6	14.0
खाद्य क्रेडिट	15.9	-3.6
गैर-खाद्य क्रेडिट	13.5	14.3
कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र	7.9	13.5
उद्योग (माइक्रो, लघु, मध्यम तथा भारी)	15.1	13.1
सेवाएं	12.6	16.1
कार्मिक ऋण	14.7	15.5
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र	8.4	22.0

स्रोत: आरबीआई

	(प्रतिशत)	
	मार्च '13	मार्च '14
बकाया रुपया ऋण	12.27	12.19
नया रुपया ऋण	11.53	11.64

स्रोत: आरबीआई

सारणी 5.3 : भारित औसत ऋण की ब्याज दर (डब्ल्यूएएलआर)

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण

5.12 सार्वजनिक क्षेत्र के बकाया प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम राशि ने मार्च 2012 के अंत की तुलना में मार्च 2013 के अंत में 13.4% की बढ़ोतरी दर्शायी (सारणी 5.5)। इसी तरह से निजी बैंकों की बकाया प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम राशि ने 14.3% तथा इसी अवधि में विदेशी बैंकों ने 5.3% की वृद्धि को दर्शायी है। सारणी 5.6 क्षेत्र द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्र उधार (पीएसएल) की वृद्धि को दर्शाती है।

कृषि ऋण

5.13 कृषि क्षेत्र में 2012-13 में 6,07,375.62 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई। वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों ने 152.77 लाख नए किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जिससे मार्च 2013 तक वित्तपोषित कृषि ऋण खातों की संख्या बढ़कर 7.04 करोड़ हो गई। उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013-14 के लिए 7,00,000 करोड़ रुपए के कृषि ऋण लक्ष्य के मुकाबले वर्ष के दौरान 7,30,766 करोड़ रु. की राशि वितरित की गई। अधिकांश ऋण अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिया गया परन्तु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा वाणिज्यिक बैंकों ने भी 2013-14 में अपनी भागीदारी में बढ़ोतरी की। (सारणी 5.7)

सारणी 5.4 : सकल बैंक क्रेडिट के क्षेत्रीय नियोजन की वृद्धि

	(प्रतिशत)	
	2011-12	2012-13
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	10.62	13.47
निजी क्षेत्र के बैंक	14.98	14.30
विदेशी बैंक	20.71	5.33

स्रोत: आरबीआई

सारणी 5.5 : प्राथमिक क्षेत्र अग्रिमों की वृद्धि

	(प्रतिशत)	
	2012-13	2013-14
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	7.9	13.5
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम	12.8	33.6
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	3.1	18.1

स्रोत: आरबीआई

सारणी 5.6 : क्षेत्र द्वारा क्रेडिट के प्राथमिक क्षेत्र नियोजन में वृद्धि

बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

5.14 भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने वैश्विक वित्त संकट के तत्काल बाद पर्याप्त लचीलापन प्रदर्शित किया था परन्तु पिछले दो वर्षों के दौरान उस पर वैश्विक तथा घरेलू अर्थिक मंदी का प्रभाव पड़ा। वर्ष 2012-13 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लाभ संवृद्धि में कमी आई क्योंकि क्रेडिट आफ-टेक में मंदी थी और ब्याज दरों में मंदी थी। परिसंपत्ति गुणवत्ता में गिरावट आई, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में। तथापि, भारतीय बैंकों की पूँजी परिस्थिति, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित मजबूत थी तथा निर्धारित न्यूनतम से अधिक थी।

मद्	करोड़ रुपए में	
	2011-12	2012-13
आय	741628	861398
ब्याज से आय	655284	763612
अन्य आय	86344	97787
व्यय	659969	770233
ब्याज व्यय में विस्तार	430356	513803
मध्यवर्ती संस्था लागत (कार्यात्मक व्यय)	137572	156585
प्रावधान तथा आकस्मिकता धनराशि	92042	99845
कार्यात्मक लाभ	173700	191010
कुल लाभ	81658	91165
ब्याज से कुल लाभ (स्प्रेड)	224928	249809
कुल परिसंपत्तियां	8320890	9573334
कुल आय	311272	347595

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

5.15 वर्ष 2012-13 के दौरान बैंकों के तुलन पत्र में समग्र संवृद्धि में और कमी आई। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की वर्ष 2012-13 के समेकित तुलन पत्र की संवृद्धि पिछले वर्ष 15.8% जो कि पिछले वर्ष के 15.1% की तुलना में कम है (सारणी 5.8)। इस कमी का प्रमुख कारण बैंकों के ऋण में कमी होना थी। क्रेडिट बढ़ोतरी में कमी वास्तविक अर्थव्यवस्था की गतिविधियों में मंदी के साथ-साथ बैंकों द्वारा निरंतर जोखिम लेने से बचना था। हालांकि बैंकिंग क्षेत्र के तुलन पत्र में मंदी प्रदर्शित होती है, जमा-जो कि देयता पक्ष में सबसे बड़ा घटक होता है- में वर्ष 2012-13 में बढ़ोतरी जारी रही, प्रमुखतः चालू तथा बचत खाते (कासा) की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी की मदद से कासा का अंश लगभग 33% बना रहा। बकाया आधार पर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के क्रेडिट-डिपोजिट अनुपात, मौटे तौर पर लगभग 79 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा।

5.16 वर्ष 2012-13 में सभी उत्पादकता वाले क्षेत्रों- कृषि, उद्योग तथा सेवाओं में क्रेडिट संवृद्धि में मंदी चलती रही। सबसे अधिक मंदी कृषि तथा उससे संबंधित गतिविधियों में थी। उद्योग के भीतर बुनियादी ढांचा क्षेत्र में भी क्रेडिट की वृद्धि में मंदी रही। इसके अतिरिक्त, गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों में क्रेडिट की मंदी सेवा क्षेत्र में क्रेडिट की मंदी समग्र मंदी का एक प्रमुख कारण था। केवल खुदरा ऋण ही एक ऐसा क्षेत्र था जिसने 2012-13 में अपनी बढ़ोतरी को बनाये रखा।

5.17 वर्ष 2012-13 में बैंकों का निवेश 2011-12 के 16.1% से बढ़कर 17.0% हो गया। वर्ष 2012-13 के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सिक्योरिटी) में बैंकों के निवेश में पिछले वर्ष की तुलना में मंदी रही। इसकी तुलना में बैंकों के गैर-अनुमोदित प्रतिभूतियों में पांच गुणा बढ़ोतरी देखी गई।

5.18 वर्ष 2012-13 में क्रेडिट संवृद्धि में मंदी के कारण ब्याज द्वारा होने वाली आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यह वह अवधि थी जब ब्याज दर भी कम होने लगी थी जो

(प्रतिशत)		
	2012-13	2013-14
सहकारी बैंक	18.31	16.21
आरआरबी	10.48	11.31
वाणिज्यिक बैंक	71.21	72.48

स्रोत: भारतीय बैंक संघ (आईबीए) आरबीआई और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई)

सारणी 5.7 : कृषि क्षेत्र को वितरित एजेंसी-वार क्रेडिट

सारणी 5.8 : एससीबी का कार्य परिणाम

क्रेडिट विकास में धीमापन रहा।

पिछले वर्षों के दौरान बढ़ी थी। ब्याज व्यय की बढ़ोतरी भी वर्ष के दौरान धीमी रही, परन्तु इसकी संवृद्धि ब्याज द्वारा अर्जित आय से अधिक थी जिसके कारण बैंकों की कार्यात्मक संवृद्धि तथा कुल लाभ पर प्रतिकूल दबाव पड़ा।

5.19 लाभ के दो प्रमुख सूचक, परिसंपत्तियों पर लाभ (आरओए) तथा प्रतिभूति पर लाभ (आरओई) में वर्ष 2011-12 के दौरान कुछ कमी रही जो बैंकों के कुल लाभ में मंदी को दर्शाता है। वर्ष 2012-13 के दौरान आरओए तथा आरओई क्रमशः 1.03 तथा 13.84 प्रतिशत पर थे (सारणी 5.9)। सैकेण्टरी मार्किट में धीमी निष्पादकता तथा क्रेडिट ऑफ-टेक में कमी के कारण बैंकों ने वर्ष 2012-13 के दौरान पब्लिक इश्यू के माध्यम से कुल 300 करोड़ रुपए ही जुटाए। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में बैंकों का प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से संसाधन जुटाना दुगने से भी अधिक होकर वर्ष 2012-13 में 26200 करोड़ रु. हो गया।

पूँजी पर्याप्तता अनुपात

5.20 जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) (बाजेल II के अंतर्गत) की पूँजी पद्धति व्याप्त स्तर पर मार्च 2012 के अंत में 14.24% की तुलना में मार्च 2013 के अंत में कम होकर 13.88% रह गया। तथापि, औसत स्तर पर पूँजी स्थिति में कमी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूँजी परिस्थिति में धीमेपन के कारण थी।

बैंकिंग क्षेत्र की अनर्जक परिसंपत्तियां

5.21 वर्ष 2012-13 के दौरान, बैंकों की अनर्जक परिसंपत्तियों में तेज बढ़ोतरी के चलते बैंकिंग क्षेत्र में परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में गिरावट एक बड़ी चिंता रही। सकल एनपीए दिए गए सकल ऋण के अनुपात की तुलना में पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के 3.1% से बढ़कर 2012-13 में 3.6 प्रतिशत हो गए। परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में गिरावट सबसे अधिक स्पष्ट भारतीय स्टेट बैंक समूह में थी जिसका मार्च 2013 के अंत में सकल नान-पर्फर्मिंग अनुपात (जीएनपीए) मार्च 2013 के अंत तक 3.6 प्रतिशत हो कर एनपीए अनुपात बढ़कर उच्च 5 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच गया। भारतीय स्टेट बैंक समूह से दूसरे स्थान पर राष्ट्रीयकृत बैंक थे।

सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में सुधार में बढ़ोत्तरी

5.22 मंदी तथा उच्च लेवरेज स्तर के कारण कतिपय उद्योग तथा बुनियादी क्षेत्र ढांचा अर्थात् वस्त्र-उद्योग, रसायन, लोहा तथा स्टील, खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण तथा दूरसंचार क्षेत्रों में एनपीए में बढ़ोतरी अनुभव की जा रही है। बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए की समग्र स्थिति में मार्च 2011 में कुल क्रेडिट अडवांस 2.36% से मार्च 2014 (अनंतिम) में कुल क्रेडिट अडवांस का 3.90 प्रतिशत हो गया। जबकि सभी क्षेत्रों के एनपीए में बढ़ोतरी हुई, बुनियादी क्षेत्र के ढांचे में यह विशिष्टतः तीव्र थी जहां क्रेडिट अडवांस की प्रतिशतता के रूप में एनपीए मार्च 2011 के 3.23 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2014 में 8.22 प्रतिशत हो गया।

5.23 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के जीएनपीए में बढ़त की प्रवृत्ति देखी जा सकती है जो कि मार्च 2010 (59,972 करोड़ रु.) के स्तर से चार गुना बढ़कर मार्च 2014 में (2,04,249 करोड़ रु.) (अनंतिम) हो गया। 2008-09 के 2.09% की तुलना में मार्च 2014 (अनंतिम) में एनपीए 4.4% हो गए।

एनपीए की समस्या का समाधान

5.24 संकट के उत्तरवर्ती वर्षों में बैंकिंग प्रणाली तथा बैंक समूहों की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में गिरावट आई है। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में एनपीए तथा ऋणों की पुनः भुगतान अनुसूची का सबसे अधिक दबाव है। आरबीआई ने दिसंबर 2013 में जारी अपनी

	(प्रतिशत)	
	2011-12	2012-13
परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	1.08	1.03
इक्विटी पर प्रतिफल	14.60	13.84

स्रोत: आरबीआई

सारणी 5.9 : एससीबी के लिए परिसंपत्तियों एवं इक्विटी पर प्रतिफल

एनपीए का विकास चिंता का विषय है।

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में पांच क्षेत्रों की दबावग्रस्त क्षेत्रों के रूप में पहचान की है- बुनियादी ढांचा, लोहा तथा स्टील, वस्त्र उद्योग, विमानन तथा खनन। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का उद्योग के क्षेत्र में सामान्यता उच्च ऋण जोखिम हैं और विशेषकर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में उसका ऋण जोखिम अधिक है। बैंकों के एनपीए में बढ़ोतरी का मुख्य कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा एनपीए की पद्धति आधारित पहचान करना, अर्थव्यवस्था में संवृद्धि में कमी आना तथा पूर्व में बैंकों द्वारा अत्यधिक ऋण प्रदान करना है, विशेषकर अच्छे समय के दौरान।

5.25 एनपीए की समस्या के निदान हेतु सरकार द्वारा की गई कातिपय पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- बैंकों द्वारा अपने मुख्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों/प्रत्येक ऋण वसूली अधिकरण में वसूली हेतु नोडल अधिकारियों को नियुक्त करना।
- बैंकों द्वारा हानिजनक परिसंपत्तियों की वसूली पर बल देना तथा बैंकों के परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के समाधान एजेंटों को पदनामित करना।
- बैंकों की राज्य स्तरीय समितियों को राज्य सरकारों के साथ मुद्दों के समाधान हेतु सक्रिय होने के निदेश देना।
- बैंकों के बीच सूचना की साझेदारी के आधार पर नए ऋण मंजूर करना।
- एनपीए का क्षेत्र/गतिविधि-वार विश्लेषण करना
- चेतावनी चिन्हों की शीघ्र पहचान करते हुए एनपीए पर करीबी नजर रखना और दबाव जैसे संकेतों की शीघ्र पहचान करके बैंकों द्वारा यथाशीघ्र सुधारात्मक उपाय करना, वसूली से संबंधित नियमों में संशोधन करना तथा क्रेडिट मूल्यांकन तथा क्रेडिट की उत्तरवर्ती मॉनीटरिंग करना (बॉक्स 5.1)।

परिसम्पत्ति गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

बॉक्स 5.1 : हाल ही में 30 जनवरी-2014 को जारी आरबीआई की द्वाते चेतावनी पद्धति की मुख्य विशेषताएं

आरबीआई ने वित्तीय दबाव की शीघ्र पहचान और उसके निदान हेतु तत्परता से उठाए गए कदमों और ऋण प्राप्तकर्ता से समुचित रूप से वसूली करने तथा अर्थव्यवस्था में दबाव ग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनः प्राप्ति के संबंध में हाल ही में निर्देश जारी किए हैं तथा दबावग्रस्त परिसंपत्तियों की शीघ्र पहचान और उसके निदान हेतु विभिन्न सुझाव दिए हैं। बैंकों के लिए अब विशेष उल्लेख खातों (एसएसए) का तीन उप श्रेणियों में वर्गीकरण करना अपेक्षित होगा;

1. एसएमए-0: मूलधन तथा ब्याज में अत्यधिक विलम्ब नहीं परन्तु दबाव के प्रारंभिक चिन्ह दृष्टिगोचर
2. एसएमए-1: मूलधन तथा ब्याज में 31-60 दिन का विलम्ब
3. एसएमए-2: मूलधन तथा ब्याज में 61-90 दिन का विलम्ब

इस फ्रेमवर्क के अन्य अहम प्रस्ताव निम्नानुसार हैं:

1. केंद्रीकृत रिपोर्टिंग तथा बड़े ऋणों के संबंध में सूचना का प्रचार-प्रसार
 2. विधान की योजना समयबद्ध रूप से सहमति बनाते हुए ऋणदाता की समिति का शीघ्र सूचन
 3. ऋणधारक को योजना पर सामूहिक तौर पर तथा शीघ्र सहमति होने की दशा में विशेष प्रोत्साहन। दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए निदान योजना के चलते बेहतर विनियामक उपचार अथवा सहमति नहीं होने की दशा में शीघ्र प्रावधान।
 4. ऋण भुगतान अनुसूची की पुनर्संरचना में सुधार करना, बड़ी राशि के ऋणों हेतु एक कारगर योजना बनाते हुए और हानि को समुचित भागीदारी के आधार पर (प्रमोटर तथा क्रेडिटर के बीच) बांटते हुए उसके स्वतन्त्र मूल्यांकन को आदेशात्मक बनाना।
 5. समाधान में मदद नहीं करने वाले ऋण प्राप्तकर्ता के लिए ऋण को भविष्य में अधिक मंहगा बनाना।
 6. परिसंपत्तियों के बिक्री के लिए और उदारीकृत विनियामक उपचार:
- ऋण प्राप्तकर्ता को ऋणात्मक परिसंपत्तियों की बिक्री पर होने वाली हानि के लिए भुगतान में अधिक समयावधि का प्रावधान करना, परन्तु शर्त यह होगी कि इस प्रकार की हानि का पूर्ण रूप से खुलासा किया गया है।
 - ऋण प्राप्तकर्ता लाली अवधि के लिए वित्तपोषण/पुनः वित्तपोषण पा सकते हैं जिसे ऋण के भुगतान की पुनर्संरचना नहीं माना जाएगा।
 - दबावग्रस्त कम्पनियों की खरीद हेतु विशिष्ट संस्थाओं को सहायक खरीद की मंजूरी प्रदान करना।
 - एआरसी के बेहतर काम काज के लिए उपायों के सुझाव दिए गए हैं।
 - क्षेत्र-विशिष्ट की कम्पनियों तथा प्राइवेट इकिवटी फर्मों को दबाव ग्रस्त परिसंपत्ति बाजार में सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार तथा आरबीआई द्वारा अब तक उठाए कदमों के परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की एनपीए वसूली में सुधार आया है। ये मार्च 2010 के 9726 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2014 तक 27,633 करोड़ रुपए हो गई है।

- पुनर्संरचित मानक खाते पर प्रावधान 2.00 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.75 प्रतिशत कर दिए गए हैं।
- नए पुनर्संरचित मानक खातों पर प्रावधान 2014-15 की चार तिमाही की अवधि तक के लिए बढ़ाते हुए 31 मार्च, 2015 से 3.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया जाए।

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान

5.26 गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान संस्थाओं का एक ऐसा विषम समूह है जो भिन्न प्रकार वित्तीय अपेक्षाओं को पूरा करता है तथा मोटे तौर पर इन्हें वित्तीय संस्थाओं (एफआई) तथा गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) के रूप में समूहबद्ध किया जा सकता है।

वित्तीय संस्थाएं

5.27 भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमन तथा अधीक्षण के अंतर्गत चार वित्तीय संस्थाएं थीं। भारतीय आयात निर्यात बैंक (एक्ज़िम), राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), नेशनल हाऊसिंग बोर्ड (एचएचबी) तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)। वर्ष 2012-13 के दौरान एफआई द्वारा जुटाए गए कुल संसाधन पिछले वर्ष की तुलना में कम थे। लघु अवधि तथा दीर्घ अवधि रूप से जुटाए गए दोनों प्रकार के संसाधनों में कमी आई जबकि विदेशी मुद्रा संसाधनों में तीव्र बढ़ोतरी हुई। विदेशी मुद्रा ऋण में हुई बढ़ोतरी मुख्यतः एक्ज़िम के संबंध में थी क्योंकि वर्ष के दौरान बाध्य ऋण दोगुने से भी अधिक हो गए।

5.28 वित्तीय संस्थानों द्वारा बाह्य संसाधनों से जुटाई गई धनराशि वर्ष 2012-13 में 73.4 प्रतिशत तक बढ़ गई जबकि आंतरिक संसाधनों से जुटाई गई धनराशि 9.3 प्रतिशत तक कम हो गई (तालिका 5.10) धनराशि के आवंटन के मामले में नए आवंटन में 13.6 प्रतिशत तक की तेज गिरावट हुई जबकि अन्य आवंटनों में प्रयुक्त धनराशि में 586.5 प्रतिशत की तीव्र संवृद्धि दर्ज की गई (तालिका 5.11)।

5.29 वित्तीय संस्थानों की वर्ष 2012-13 के दौरान वित्तीय कार्य-निष्पादकता में सुधार हुआ क्योंकि उनका कार्यात्मक तथा कुल लाभ दोनों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। वित्तीय संस्थानों के कार्यात्मक व्यय में वेतन पर हुआ अधिक व्यय मुख्य कारण था। वर्ष 2012-13 के दौरान सभी वित्तीय संस्थानों के आरओ लगभग स्थिर रहे, जबकि सिडबी तथा एनएचबी का आरओए सबसे अधिक था। पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय संस्थानों का औसत स्तर पर कुल एनपीए में मुख्यतः एक्ज़िम, सिडबी तथा एनएचबी का उच्च एनपीए था। वित्तीय संस्थानों में नाबार्ड का सबसे कम एनपीए था तथा उसमें वर्ष के दौरान ओर सुधार आया। सभी वित्तीय संस्थानों की सीआरएआर वर्ष 2012-13 में पिछले वर्ष की तुलना में कम थी। तथापि सभी वित्तीय संस्थानों ने सीआरएआर को 9 प्रतिशत के न्यूनतम निर्धारित लक्ष्य से ऊपर बनाए रखा।

5.30 गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान 31 मार्च, 2013 की स्थिति तक एनबीएफसी का बैंक की परिसंपत्ति में 13.0 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। वित्तीय समावेश के अधि काधिक महत्व के महेनजर एनबीएफसी को लघु तथा खुदरा क्षेत्र, दोनों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मध्यवर्ती वित्तीय संस्था माना जाता है। एनबीएफसी को उनके सार्वजनिक रूप से जमा राशि को आधार बनाकर, अर्थात् क्या वह सार्वजनिक रूप से जमा राशि ग्रहणकर्ता (एनबीएफसी-डी) है या नहीं (एनबीएफसी-एनडी) दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। आरबीआई में पंजीकृत एनबीएफसी की संख्या में जून 2012 के अंत में 12,385 से कम होकर 30 जून, 2013 में

	(₹ करोड़)	
	2011-12	2012-13
एकत्रित संसाधन		
दीर्घ अवधि	96100	47000
लघु अवधि	105200	65900
विदेशी ऋण	10400	20100
कुल	211700	133000
कुल बकाया	201600	191300

स्रोत: संबंधित विदेशी संस्था

सारणी 5.10 : विदेशी संस्थाओं द्वारा संसाधनों का जुटाया जाना

	(प्रतिशत)
	2012-13
निधियों का स्रोत	27.1
आंतरिक	-9.3
बाह्य	73.4
अन्य	225.4
निधियों का नियोजन	27.1
नया नियोजन	-13.6
पिछली उधारी का पुनर्भुगतान	17.6
अन्य नियोजन	586.5
ब्याज का भुगतान	26.2

स्रोत: संबंधित विदेशी संस्था

सारणी 5.11 : एमआई की निधियों के स्रोत और नियोजन के तरीके में भिन्नता

बॉक्स 5.2 : छोटे व्यवसायियों तथा निम्न आय परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवा सम्बद्ध समिति

आरबीआई ने डा नेचिकेत मोर की अध्यक्षता में सितंबर 2013 में छोटे व्यवसायियों तथा निम्न आय परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाएं मुहैया कराने हेतु एक समिति गठित की थी। इस समिति की रिपोर्ट 7 जनवरी, 2014 को जारी की गई।

इस समिति की सिफारिशों की प्रमुखता वित्तीय समावेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ऐसी पद्धति की आवश्यकता है जो किसी मोडल-विशेष से परे हटकर बहु-मोडल तथा भागीदारी आधारित मोडल हो। विशिष्टतः किसी पूर्ण सेवा राष्ट्रीय बैंक और विभिन्न प्रकार के क्षेत्रिय बैंकों, एनबीएफसी तथा वित्तीय बाजार के बीच समिति द्वारा की गई सभी मुख्य सिफारिशों ये हैं कि सामान्य बड़े संस्थानों पर ध्यान देने की बजाय विशेषज्ञों के बीच विशेषज्ञता तथा भागीदारी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। समिति की राय में वित्तीय स्थिरता को अथवा उपभोक्ता के प्रति जिम्मेवारी से समझौता किए बिना इस प्रकार हैं:

1. प्रत्येक नागरिक को आधार नम्बर जारी करते समय एक यूनिवर्सल इलैक्ट्रोनिकी बैंक खाता उपलब्ध कराया जाए।
2. समकक्ष स्तर प्रदान करते हुए लाईसैंसिंग क्षेत्र न्यून प्रविष्टि अवरोध, पेमेंट बैंक, होलसेल कन्ज्यूमर बैंक तथा होलसेल इन्वेस्टमेंट बैंक सहित वित्तीय रूप से अधिक केन्द्रीत बैंक
3. क्षेत्रिय बैंकों के लिए जोखिम आधारित सर्वेक्षण प्रक्रिया का विकास तथा नए बैंकों के सृजन से पहले मौजूदा बैंकों का सुदृढ़ीकरण।
4. नाबार्ड सिडबी तथा एनएचबी को मार्किट मेंकर बनाने तथा जोखिम आधारित क्रेडिट एनहैसमेन्ट प्रदान करने की दृष्टि से पुर्ण-अभिविन्यास।
5. एनबीएफसी की परिभाषा को दो श्रेणियों में विभाजित करते हुए समेकित करना। मुख्य निवेश कम्पनी तथा अन्य एनबीएफसी/एनबीएफसी-एन डी को व्यवसाय संपर्कर्ता के रूप में बहाल करना।
6. प्राथमिकता क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण के संबंध में हालांकि समिति छोटे व्यवसायियों तथा कमजोर वर्ग को दी जाने वाली प्राथमिकता की मौजूदा नीति से सहमत है परन्तु वह अर्थव्यवस्था के एक अथवा अधिक क्षेत्र में अथवा क्षेत्र-विशिष्ट में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने की सिफारिश करती है। सरकारी आर्थिक सहायता को परिदान अथवा अनुदान राशि के रूप में देने की बजाय लाभ का सीधा अंतरण किया जाए।
7. आरबीआई द्वारा नियमित सभी वित्तीय फर्मों को उत्पादों के संबंध में उपभोक्ता को सलाह देने से पहले उनकी स्थिरता के मूल्यांकन हेतु सभी आंतरिक अपेक्षाएं पूरी करनी होती हैं।

12,225 हो गई। इस अवधि के दौरान एनबीएफसी-डी 271 से कम होकर 254 रह गए तथा व्यवस्थात्मक रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी-एनडी की संख्या इस अवधि में 370 से बढ़कर 417 हो गई।

वित्तीय समावेशन

5.31 वित्तीय समावेशन सरकार की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य देश की संभाव्य संवृद्धि क्षमता प्राप्त करने के लिए ऐसे लोगों को वित्तीय सेवाएं मुहैया करवाई जाएं जो अभी तक इसके दायरे से बाहर रहे हैं। बैंकिंग सेवा का लाभ ऐसे लोगों तक पहुंचाने जो अभी तक उससे बाहर थे, के लिए सरकार और आरबीआई द्वारा समय-समय पर अनके पहले की गई हैं। वर्ष 2013-14 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2012-13 के 4432 शाखाओं की तुलना में 7840 शाखाएं खोली हैं। उनमें जनवरी, 2014 तक लगभग 96,853 एटीएम थे जबकि 2012-13 के अंत में इनकी संख्या 69652 थी। बाक्स 5.2 तथा 5.3 इस क्षेत्र के कई नए विकासों को रेखांकित करते हैं।

बॉक्स 5.3 : निजी क्षेत्र को नए बैंकिंग लाइसेंस

आरबीआई ने 22 फरवरी, 2013 को निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने हेतु मार्ग निर्देश जारी किए जिसमें नए बैंक बनाने के लिए आवेदन मांगे गए थे जिसके लिए 25 आवेदन प्राप्त हुए। इन आवेदनों की जांच हेतु भूतपूर्व आरबीआई गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय सलाहकार समिति गठित की गई। समिति ने सिफारिशों सहित अपनी रिपोर्ट 25 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत कर दी। इसके आधार पर आरबीआई द्वारा आवेदनों की आंतरिक जांच की गई तथा इन मार्ग निर्देशों के अंतर्गत 2 अप्रैल, 2014 को दो आवेदकों को सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया अर्थात आईडीएफसी लिमिटेड और बंधन फाइनैसियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड।

	करोड़ रुपये में	
	2012-13	2013-14
ऋण	16982	42383
इक्विटी	15473	13269
आईपीओ	6528	1236
आईपीओ की संख्या	33	38
आईपीओ सार्वजनिक	198	33
प्राइवेट प्लॉसमेंट	361462	276054
यूरो इश्यू (एडीआर)/जीडीआर	उन	उन
जोड़	393917	331728


स्रोत: भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड

सारणी 5.12 : प्राथमिक बाजार के माध्यम से संसाधन गतिशीलता

	(₹ करोड़)	
क्षेत्र	2012-13	2013-14
यूटीआई	4629	401
सार्वजनिक	6808	4543
निजी	65102	48838
कुल	76539	53783

स्रोत: सेबी

सारणी 5.13 : म्यूचुअल फंडों द्वारा संसाधन गतिशीलता में प्रवृत्ति



स्रोत: एनएसई एवं बीएसई

चित्र 5.3 : एनएसई और बीएसई का अंतिम मूल्य

सूचकांक	12 पर 13 में % परिवर्तन
एस एंड पी बीएसई सेन्सेक्स	9.0
एनएसई सी एन एक्स निपटी	6.8
एस एंड पी 500	29.6
डीटीएसई 100	255
निक्की 225	14.4
हेंग सेंग	56.7
ब्राजील इबोवेस्पा	2.9
कोम्पो	-15.5
डो जोस इंडस औसत	0.7
स्टैट टाइम्स एसटीआई	26.5
शंघाई एसई	0.0
सीएसी 40	-6.7
	18.0

स्रोत: बूमर्वा

सारणी 5.14 : विश्व में प्रमुख बाजारों का प्रदर्शन (%)

	नकद	इक्विटी
2012-13	3257086	38704572
2013-14	3341338	47575571

स्रोत: बीएसई, एनएसई और एमसीएक्स-एसएक्स

सारणी 5.15 : बाजार व्यापार की मात्रा

एक्सचेंज	संविदाओं की संख्या	व्यापार मूल्य (करोड़ रुपये)	दैनिक औसत व्यापार मूल्य (करोड़ रुपये)
एनएसई			
2012-13	959243448	5274465	21706
2013-14	660192530	4012513	16445
एमसीएक्स-एसएक्स			
2012-13	597310766	3303179	13593
2013-14	398584890	2422410	9928
यूएसई			
2012-13	23766846	132861	547
2013-14	47479296	301620	1236
बीएसई			
2012-13	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2013-14	39157195	244312	3016

स्रोत: एनएसई, एमसीएक्स-एसएक्स, यूएसई तथा बीएसई

सारणी 5.16 : मुद्रा प्रचालनों में प्राप्तियां


प्रारंभिक बाजार पहले

5.36 यह उपखण्ड पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय व्यवस्था की पहुंच व दक्षता बढ़ाने हेतु नियामक परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है।

निगम बांड बाजार विकसित करने के उपाय

5.37 निगम बांड बाजार की वृद्धि को बढ़ाने तथा नियामक पद्धति को सुधारने के लिए, सभी बाजार नियामकों तथा वाणिज्य मंत्रालय (एमसीए) के परामर्श से विभिन्न नीतिगत सुधार उपायों को कार्यान्वित किया गया।

- आयकर अधिनियम, सिक्युरिटीजेशन एंड विकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेशल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एसएआरएफईएसआई,) एक्ट एमसीए के द्वारा कार्यान्वित विनियमों में संशोधन के द्वारा व्यापार ऋण के कार्यान्वयन के लिए विधिक रूपरेखा को मजबूत करना।
- दीर्घावधि समावेशन तथा निवेशकों के लिए स्थिर वर्ग को सक्षम बनाने के लिए, पेंशन निधि, भविष्य निधि, बीमा निधि इत्यादि के लिए निवेशक मार्गदर्शिका में शिथिलता लाना।
- कवर्ड बांड्स, म्यूचूअल बांड्स, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स, क्रेडिट एनहांसमेंट्स तथा सिक्युरिटीजेशन रिसिप्ट्स जैसे नवजात उत्पादों के लिए नियामक बाधाओं या विधि को हटाने या नवीन उत्पादों का प्रारंभ।
- कम्पनी नियमावली (जमाओं की स्वीकृति) 1975 में जमाओं की परिभाषा में सुधार
- प्रतिभूति ऋणों के लिए कर नीति में सुधार सुनिश्चित करके प्रतिभूति ऋण बाजार का विकास
- जी-सेक (जी-सेक) के कारपोरेट बांड एफआईआईएस, बांड पर विद्होल्डिंग टैक्स (डब्ल्यूएचटी) का युक्तिकरण
- बीमा/पेंशन निधि की निवेश शर्तों में छूट प्रदान करना ताकि इस प्रकार की निधियों में कारपोरेट बांडों की सहभागिता को बढ़ाया जा सके।
- बैंकों के द्वारा टिर-2 पूंजी को बढ़ाने के लिए, कारपोरेट के सार्वजनिक नियमों को बढ़ावा देना, विशेषकर जबसे बैंकों को आम जमाकर्ताओं के द्वारा एक अधिक विश्वसनीय संस्था के रूप में देखा जाने लगा है।
- नकदी को बढ़ाने के लिए, रेपो बाजार में सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु बीमा कंपनियों को स्वीकृति प्रदान करना। आरबीआई, ने कॉरपोरेट-ऋण रेपो में



स्रोत: सेबी

चित्र 5.4 : कुल एफआईआई निवेश

न्यूनतम मार्जिन की आवश्यकता को भी कम कर दिया है। कॉरपोरेट ऋण में ऋण को कमर्शल ऐपर्स, जमाओं के प्रमाणपत्र तथा गैर-परिवर्तीय डिबेंचरों के लिए कम से कम एक वर्ष की वास्तविक परिपक्वता की स्वीकृति दी गई है।

- क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स (सीडीएस) मार्किट में बाजार निर्माताओं की सहभागिता के लिए बीमा कम्पनी तथा म्युचुअल फंड को स्वीकृति प्रदान करना ताकि इस उत्पाद के व्यापार में सुधार किया जा सके।
- शेयर बाजार में, कारपोरेट बांडों में व्यापार के लिए व्यापार गारंटी का निर्माण तथा सेंट्रल काउंटर पार्टी (सीसीपी) की स्थापना करना।
- सूचना के विखंडन के निराकरण के लिए व्यापारिक संग्रह, निपटान मान तथा बकाया राशि पर, कारपोरेट बांडस के लिए जोखिम प्रबंधन व्यवस्था तथा नवीन व्यापारिक मंच जिसमें केन्द्रीकृत डाटाबेस भी सम्मिलित है।

निजी स्थापन तथा सार्वजनिक निर्गम के लिए कारपोरेट बांडस पर तालिका 5.17 एवं 5.18 में आंकड़े दिये गये हैं।

	इश्यू	वसूली गई राशि (₹ करोड़)
2010-11	10	9451.17
2011-12	20	35610
2012-13	20	16982
2013-14	35	42382.97
2014-15	1	264.7

स्रोत: सेबी

सारणी 5.18 : सार्वजनिक मुद्दों पर विवरण

	2012-13	2013-14	2014-15*
केवल एनएसई में सूचीबद्ध			
इश्यू की संख्या	1295	837	94
राशि (करोड़ ₹)	206187.25	140713.04	9122.8
केवल बीएसई में सूचीबद्ध			
इश्यू की संख्या	1094	997	194
राशि (करोड़ ₹)	72473.84	78805.14	10651.75
एनएसई एवं बीएसई में सूचीबद्ध			
इश्यू की संख्या	100	90	12
राशि (करोड़ ₹)	82800.91	56536	3800
कुल			
इश्यू की संख्या	2489	1924	300
राशि (करोड़ ₹)	361462	276054.18	23574.55

स्रोत: एनएसई एवं बीएसई

*अप्रैल 2014 में

सारणी 5.17 : व्यापारिक बोडों के निजी स्थापन

सूचीबद्ध कम्पनियों के लिए न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी को बढ़ाना।

5.38 प्रतिभूति संविदा (नियमन) विनियम (एससीआरआर) 1957, सभी सूचीबद्ध कम्पनियों के लिए गैर-प्रोत्साहक, सार्वजनिक हिस्सेदारी के लिए 25% (उन उपक्रमों को छोड़कर जो सरकारी स्वामित्व में हैं और जिसकी सीमा 10% है) प्रदान करता है। सेबी ने एससीआरआर के नियम 19(2) तथा 19 (क) के सम्बन्ध में, न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी (एमपीएस) आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित तरीकों का सूत्रपात किया है।

- विवरणिकाओं के माध्यम से लोगों को शेयर जारी करना।
- प्रोत्साहकों के पास रखे हुए शेयर को, विवरणिकाओं के माध्यम से लोगों को विक्रय के लिए प्रस्तुत करना तथा प्रोत्साहकों के पास रखे शेयरों को द्वितीय बाजार के माध्यम से, ओएफएस के द्वारा, शेयर बाजार के द्वारा विक्रय करना। यह एक नए संस्थागत श्रेणीक्रम कार्यक्रम के साथ युग्मित है।
- सार्वजनिक शेयरधारकों को, प्रोत्साहकों/प्रोत्साहक समूह धारकों को उन अधिकारों के पूर्ववर्ती हक से अधिकार जारी करना। इसी प्रकार की शर्तें बोनस मुद्दों पर भी लागू होती हैं।

5.39 इन आदेशों का अनुपालन न करने वाली कम्पनियों को जारी किया गया है तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) तथा 18,799 करोड़ रु. उनके एमपीएस के कम्पनी सम्मेलन के माध्यम से जुटा गयी।

द्वितीय बाजार पहल

5.40 द्वितीयक बाजार में, यह एक व्यस्त बाजार था क्योंकि कई बाजार खण्डों को उदार बनाया गया था तथा नए उत्पाद जैसे कि वायदा निवेश दर को प्रारंभ किया गया। अन्य योजना तथा सुधारों में शामिल हैं।

लघु तथा मध्यम उपक्रम (एसएमई) खण्ड

5.41 लघु तथा मध्यम उपक्रमों के लिए रूप-रेखा, जिसमें अचानक उछाल वाली कंपनियां सम्मिलित हैं, तथा आईपीओ को बनाने की आवश्यकता के बिना एसएमई एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करना था, को केन्द्रीय बजट 2013-14 में घोषित किया गया था। तथापि जानकार निवेशकों के लिए निर्गम को प्रतिबंधित किया जाएगा। यह वर्तमान एसएमई मंचों में एक अतिरिक्त मंच होगा जिसमें एक आईपीओ के माध्यम से तथा व्यापक निवेश सहभागिता के साथ सूचीबद्ध किया जा सकेगा। ऐसा पूँजीगत बाजार में एसएमई पहुंच को बढ़ाने के लिए किया गया था।

प्रतिभूति विनिमय कर (एसटीटी) का सामंजस्य तथा कमी

5.42 वर्ष 2013-14 में, एसटीटी को वायदा समता के लिए 0.01% से कम करके 0.017% किया गया है। इसी समय गैर-कृषिगत वस्तुगत बाजार सौदों पर वस्तुगत विनिमय कर (सीटीटी) दर को, वायदा समता पर, इसी दर को सुसंगत बनाया गया है।

बाहरी बाजार पहल

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई)

5.43 कै.एम. चंद्रशेखर समिति के सुझावों के अनुसरण में, सेबी ने, 7 जनवरी 2014 को, भारत में पोर्टफोलियो निवेश करने के लिए, विदेशी निवेशकों के सम्बन्ध में, पंजीकरण तथा प्रक्रिया के लिए, एक रूपरेखा प्रस्तुत की है। आरबीआई ने 25 मार्च, 2014 को सेबी के साथ, एफपीआई शर्तों की घोषणा के साथ, इन सुझावों की अनुपालना की।

5.44 सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार, पंजीकृत, पोर्टफोलियो निवेशकों को, पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक आरएफपीआई कहा जाएगा। वर्तमान पोर्टफोलियो निवेशक वर्ग, नामतः एफआईआई तथा सेबी के साथ पंजीकृत योग्यता प्राप्त निवेशकों जीएफटी को आरएफपीआई के तहत, समावेशित किया जाएगा। एक आरएफपीआई, भारत में, मान्यता प्राप्त शेयर बाजार पर, एक पंजीकृत ब्रोकर के माध्यम से, भारत की किसी कम्पनी के परिवर्तनीय डिबेंचर्स तथा शेयरों को खरीद तथा बेच सकता है तथा सुसंगत सेबी दिशानिर्देशों/विनियमों के सम्बन्ध में, लोगों को प्रस्तुत किये गए परिवर्तनीय डिबेंचर्स को खरीद तथा बेच सकता है। एक आरएफपीआई सरकारी प्रतिभूतियों तथा कारपोरेट ऋणों में निवेश के लिए पात्र होगा तथा शेयर बाजार पर सभी विनिमय व्यापार व्युत्पन्न सौदे आरबीआई तथा सेबी द्वारा निर्धारित सीमा का विषय होंगे। इस कार्य को भारत में सभी एफपीआईआई के लिए; विदेशी निवेश को एक धारा में लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को सरल बनाएंगे।

एडीआर/जीडीआर योजना की समीक्षा

5.45 योजना की वैधानिक स्पष्टता तथा सरलीकरण की आवश्यकता; भारतीय कम्पनी तथा विदेशी निवेशक की आवश्यकता; नए कम्पनी कानून तथा वित्तीय

बाजार में वर्तमान विधायन का ध्यान में रखते हुए अमेरिकन डिपोसिटरी रिसिप्ट (एडीआर) ग्लोबल डिपौसिटरी रिसिप्ट (जीडीआर) स्कीम, 1993 की समीक्षा के लिए एक समिति की स्थापना की गई है। इस समिति ने 27 नवम्बर, 2013 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सरकार ने रिपोर्ट को स्वीकार किया तथा समिति द्वारा सुझाई गई नई योजना को आवश्यक टैक्स सम्बन्धी सुधारों के साथ दूसरे चरण में सूचित किया जा सकता है।

आईएफसी समुद्र-पारीय बांड कार्यक्रम

5.46 भारतीय वित्तीय संहिता (आईएफसी), विश्व बैंक समूह का एक सदस्य ने, भारत के पूँजी बाजार को मजबूत करने के लिए, समुद्र पारीय रूपया जो कि अपने प्रकार की सबसे बड़ी योजना है— एक बिलियन अमेरिकी डॉलर का समुद्रपारीय बांड कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आईएफसी, रूपया से सम्बन्धित बांड जारी करेगा तथा इसका प्रयोग देश में निजी क्षेत्र में निवेश के वित्तीयन को आगे बढ़ाने के लिए करेगा। आईएफसी का समुद्रपारीय बांड कार्यक्रम गहनता लाने तथा समुद्रपारीय रूपया बाजार की विविधता में सहायक सिद्ध होगा तथा भारतीय कम्पनियों के निवेश के लिए एक प्राकृतिक स्रोत के लिए कारगर होगा।

एफआईआई ऋण सीमा में वृद्धि

5.47 भारत सरकार ने, भारत के उभरते बृहत आर्थिक परिप्रेक्षा को ध्यान में रखते हुए, आरबीआई के सुझाव के, घरेलू ऋण (जी-सेक के साथ-साथ कारपोरेट ऋण) में एफआईआई निवेश की सीमा को उत्तरोत्तर बढ़ाया है। अब, एफआईआई ऋण की सीमा जो कि पहले 66 बिलियन अमेरिकन डॉलर थी बढ़कर 81 बिलियन (कारपोरेट बांड 5, बिलियन अमेरिकी डालर तथा जी-सेक 30 बिलियन अमेरिकी डालर) हो गई है।

एफआईआई सीमा को बढ़ाकर 81 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया गया।

वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी)

5.48 वर्तमान परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार, वित्तीय क्षेत्र के कानूनों के नवीनीकरण को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने 24 मार्च, 2011 को एफएसएलआरसी की स्थापना की। आयोग ने 22 मार्च, 2013 को अपनी रिपोर्ट पेश की। आईएफएसएलआरसी ने संस्थागत कानूनी तथा विनियामक रूपरेखा; तथा भारतीय वित्तीय क्षेत्र में कार्यात्मक परिवर्तनों पर व्यापक सुझाव प्रस्तुत किये हैं। आयोग के सुझावों को मोटे तौर पर, दो भागों वैधानिक तथा गैर-वैधानिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है।

एफएसएलआरसी रिपोर्ट, वित्तीय सुधारों में एवं महत्वपूर्ण मीता के पथर को चिह्नित करती है।

5.49 सुझावों का वैधानिक पहलू, गैर-क्षेत्रीय, सिद्धांत आधारित उपागम के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र के नियामक वास्तु की वैधानिक रूपरेखा के नवजीवन से सम्बन्धित है तथा ऐसा करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो वर्तमान नियामक अभिकरणों तथा नए अभिकरणों के निर्माण का सुझाव है। आयोग ने, वित्तीय क्षेत्र के लिए एक सात अभिकरण संरचना का सुझाव दिया है। एफएसएलआरसी के गैर वैधानिक पहलू से सम्बन्धित सुझाव में, व्यापक रूप से उपभोक्ता सुरक्षा की संवृद्धि के लिए सुशासन संवृद्धि सिद्धांतों की प्रकृति, वित्तीय क्षेत्र नियमन के कार्यों में, उनकी रिपोर्टिंग व्यवस्था के सम्बन्ध में पारदर्शिता, नियामक संस्थाओं के साथ उनके इंटरफेस पर बृहत पारदर्शिता तथा अनिवार्य सार्वजनिक सलाह, लागत-लाभ विश्लेषण के समावेशन के माध्यम से नियमन-निर्माण प्रक्रिया में व्यापक पारदर्शिता सम्मिलित हैं। एफएसएलआरसी के सुझावों पर वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद (एफएसडीसी)

सम्मेलन में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। 24 अक्टूबर 2013 को होने वाले आठवें एफएसडीसी सम्मेलन में समिति ने निर्णय लिया कि नियामक सुशासन को बढ़ावा देने वाले उन सुझावों को स्वैच्छिक रूप से अपनाएंगे जिनके लिए यथोचित रूप से संभावित समय के अंतर्गत वैधानिक परिवर्तनों की आवश्यकता नहीं है। प्रस्ताव निगम (आरसी), पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट एजेंसी (पीडीएमए), फाइनेंशल सेक्टर अपीलेट ट्रिब्यूनल (ईएसएटी) तथा फाइनेंशियल डाटा मैनेजमेंट सेन्टर (एफडीसी) जैसे नए अधिकरणों की स्थापना के लिए एक रोडमैप के निर्धारण के लिए योजना दृष्टिकोण के साथ एक कार्य बल की स्थापना का भी निर्णय लिया गया।

5.50 गैर-वैधानिक सुशासन-संवर्धन सिद्धांत के बारे में एकसमान तर्क आधारित समझ को विकसित करने में मदद करने तथा नियामकों के कार्य को सरल बनाने को ध्यान में रखते हुए, एक विस्तृत ‘गाइडेंस हेंडबुक’ को तैयार किया गया जिसमें आवश्यक रूप से सुशासन-संवर्धन प्रावधान/सुझाव, उनके तार्मिक, वैश्वक सुशासन व्यवहार के उपयुक्त उदाहरण तथा कार्यान्वयन पर निर्देश समाहित है।

5.51 इन सुझावों में, उपभोक्ता संरक्षण, खुदरा उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता संरक्षण नियमों के निर्माण की आवश्यकता, नियामक संस्थाओं को नोटिस, पारदर्शिता, बोर्ड सम्मेलनों में पारदर्शिता, रिपोर्टिंग, अनुमोदन, जांच, न्यायनिर्णयन, दण्ड का लगाया जाना तथा सामर्थ्य निर्माण से संबंधित मुद्दे सम्मिलित हैं। नियामकों के बीच सहयोग सुनिश्चित करने के लिए ताकि क्रियात्मक स्तर पर संसक्रित सुनिश्चित हो, एफएसएलआरसी सुझावों के गैर-वैधानिक पहलुओं पर आरबीआई के कार्यालय में अन्तः तकनीकी समूहों में भी विचार-विमर्श किया गया।

5.52 इसी दिशा में, सरकार का आरसी, पीडीएमए, एफएसएटी तथा एफडीएमसी पर कार्यदलों के माध्यम से तथा एफएसएलआरसी के वैधानिक पहलू की प्रक्रिया, आईएफसी मसौदे का उचित तालमेल, उपरोक्त योजना के तालमेल से उनके उचित एकीकरण के लिए विभिन्न अधिकरणों/नियामकों के कार्य में समन्वय, सामर्थ्य निर्माण के लिए तकनीकी कार्यक्रम का प्रबंधन के द्वारा तथा प्रबंधन सूचना (एमआईएस) को मजबूत करके, संस्थागत संरचनाओं को ठोस रूप देने का विचार है।

वित्तीय स्थिरता तथा विकास परिषद सचिवालय

5.53 वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने, अन्तः नियामक समन्वय का संवर्धन, तथा वित्तीय क्षेत्र के विकास को मजबूत करने के उद्देश्य से, सरकार ने दिसम्बर 2010 में, शीर्ष स्तर पर वित्तीय स्थिरता तथा विकास परिषद (एफएसडीसी) की स्थापना की है। परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं तथा वित्तीय क्षेत्र नियामक अंथारिटी के अध्यक्ष, वित्त सचिव तथा/या सचिव, आर्थिक मामले मंत्रालय विभाग, सचिव, वित्त सेवा विभाग तथा मुख्य आर्थिक सलाहकार सदस्य के रूप में होते हैं। परिषद अर्थव्यवस्था के बहुत-प्रशासनिक पर्यवेक्षण को मॉनीटर करती है। तथा अन्तः नियामक समन्वय तथा वित्तीय क्षेत्र के विकास मुद्दों को संबोधित करती है। यह वित्तीय साक्षरता तथा वित्तीय समावेशन पर भी अपना ध्यान केन्द्रित करती है।

5.54 वर्ष 2013-14 में इसकी तीन बार बैठक हुई तथा वर्ष 2014-15 में दो बार मिल चुकी है इन सम्मेलनों के दौरान, परिषद, परिसम्पत्ति गुणवत्ता की स्थिति, देश में बैंकिंग व्यवस्था की पूँजीगत पर्याप्तता, वित्तीय साक्षरता के लिए

एफएसएलआरसी रिपोर्ट, वित्तीय
उपभोक्ता संरक्षण पर बल देती है।

एफएसडीसी ने मुख्य वित्तीय स्थिर
मुद्दों की समीक्षा की है।

बॉक्स 5.4 : एफएसएलआरसी के अंतर्गत वित्तीय स्थिरता बोर्ड

वर्ष 2009 में जी20 के तत्वाधान में, वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) की स्थापना, राष्ट्रीय अँथारिटी, स्टैण्डर्ड सैटिंग बॉडीस तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को एक साथ लाने, सुधारेता को संबोधित करने तथा कठोर नियमकों को कार्यान्वित करने, पर्यवेक्षण करने तथा वित्तीय स्थिरता के हितों को संबोधित करने के लिए की गई। भारत, एफएसबी का सक्रिय सदस्य है आर्थिक मामले विभाग में, एफएसडीसी सचिवालय, विभिन्न वित्तीय क्षेत्र नियमकों तथा अन्य सार्थक अधिकारियों के साथ, एफएसबी के साथ भारत के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने के लिए तालमेल करता है। एफएसबी के एक सदस्य के रूप में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीएस) तथा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि (आईएमएफ) में, भारत ने जी-20 के तत्वाधान में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय नियमक तथा पर्यवेक्षण रूपरेखा के आर्थिक संकट के बाद के सुधारों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। भारत, जहां कहीं आवश्यकता हो अंतर्राष्ट्रीय मानकों तथा सर्वश्रेष्ठ व्यवहार को स्वीकार करने के लिए चरणबद्ध रूप से तथा स्थानीय परिस्थितियों के अशांकन करने के प्रति वचनबद्ध रहा है।

राष्ट्रीय रणनीति, एफएसएलआरसी के सुझाव, संयुक्त राज्य अमेरिका में परिमाणात्मक सुलभता के कम होने का प्रभाव तथा उठाए जाने वाले निवारक कदम, कम्पनी अधिनियम 2013 में निर्धारित 'कॉरपोरेट डिस्ट्रेस' रेसोल्यूशन मेकेनिजम को सरल बनाने के लिए नियमकों/सरकारों द्वारा उठाने जाने वाले कदम, बाहरी क्षेत्र सुधार ता पर मूल्यांकन, बैंकों के द्वारा बेसल 111 कम्पलाइंट केपिटल इंस्ट्रूमेंट का जारी किया जाना इत्यादि (कृपया बॉक्स 5.4 देखें) की समीक्षा करती हैं।

मुख्य बाजार के लिए वैश्विक प्रतियोगिता

5.55 हाल ही के वर्षों में, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के एक नये युग एक प्रमुख विकास रहा है। भारत में दो सर्वाधिक बड़े बाजार रूपये तथा निफ्टी हैं। इन दोनों ही बाजारों में विदेशी स्थानों पर सक्रिय व्यापार का विकास हुआ है। विदेशी उपरोक्ताओं के पास एक ऑंडर भेजने का विकल्प है वे भारत या कहीं और अपना ऑंडर भेज सकते हैं; भारत में फर्में तथा परिवार धीरे-धीरे विदेशी चुनाव का अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत मुख्य बाजार में, प्रतियोगिता करने की अपनी क्षमता खो चुका है।

5.56 तालिका 5.19 रूपये के लिए वैश्विक बाजार की संरचना को प्रदर्शित करती है। रु० में दैनिक गतिविधि 50.58 बिलियन डॉलर जुड़ गई है। विदेशी बाजार एक महत्वपूर्ण प्रतियोगी के रूप में उभरा है। सारणी 5.20 निफ्टी के लिए वैश्विक बाजार की संरचना प्रदर्शित करती है। खुली व्यवस्था में आधे से भी अधिक, अब विदेशी है।

5.57 10 वर्ष पहले, इन दोनों क्षेत्रों में ही वैश्विक बाजार व्यवहारिक रूप से अनुपस्थित था। भारतीय वित्तीय व्यवस्था पर विदेशी बाजार के बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि एक प्रमुख बाहरी आघात है। वैश्विक प्रतियोगिता निजी खिलाड़ियों के लिए अधिक समर्थ बनने के लिए दबाव उत्पन्न करती है जो कि एक सकारात्मक विकास है। तथापि, देशी बाजार के दृष्टिकोण में नीतिगत समस्याएं अवरोधक की भूमिका अदा करती है। इस वैश्विक प्रतियोगिता के परिणाम छः तत्वों पर निर्भर है:

- विदेशी निवेशकों के विरुद्ध पूँजीगत नियंत्रण में मतभेद हैं;
- प्रायः स्थिति सीमा तथा हाशिये पर नियमों में तकनीकी गड़बड़ियां हैं;
- गैर-आवासीय सहभागियों के साथ कर-व्यवहार में अनिश्चितता है।
- भारत का बाजार प्रत्येक समय खुला नहीं रहता है।
- यहां पर नौकरशाही तथा प्रक्रियागत बंधन है।
- अन्य प्रतियोगी बाजारों की तुलना भारत का घरेलू बाजार में कम विकसित है।

(खुले हित के यूएस बिलियन डॉलर)

व्यापारिक विनियम ओटीसी		
समुद्र तटीय	10.6	20.9
अप तटीय	1.4	17.6
स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय समझौता बैंक		

सारणी 5.19 : रूपए के लिए विदेशी व्यापार

(खुले हित के यूएस बिलियन डॉलर)

व्यापारिक विनियम ओटीसी		
समुद्र तटीय	22.1	6.9
अप तटीय	0.0	22-8
स्रोत: एनएसई और एसजीएक्स		

सारणी 5.20 : निफ्टी के लिए वैश्विक बाजार

बीमा तथा पेंशन

बीमा

5.58 प्रत्येक आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए एक स्वस्थ तथा विकासशील बीमा क्षेत्र का होना अति आवश्यक है। यह बचत व्यवहारों को बढ़ावा देता है, शहरी तथा ग्रामीण उपक्रमों तथा व्यक्तियों के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है तथा अवसर्चनात्मक विकास के लिए एक दीर्घावधि निधि का निर्माण करता है। इसलिए, बीमा का विकास निरंतर आर्थिक वृद्धि की सहायता के लिए आवश्यक है। सामाजिक सुरक्षा तथा पेंशन सुधारों से एक परिपक्व बीमा उद्योग को भी लाभ होता है। 2000 में इसके प्रारंभ के साथ से, बीमा उद्योग में सहभागियों की संख्या 7 बीमाकर्ता (जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी भी शामिल है), 4 सार्वजनिक क्षेत्र के सार्वजनिक बीमाकर्ता, विशिष्ट बीमाकर्ता तथा सामान्य बीमा निगम (जीआईसी) से बढ़ गई है। तथापि 53 बीमाकर्ताओं से यह सं. 31 मार्च, 2014 तक 2000 राष्ट्रीय युवा बीमाकर्ताओं तक पहुंच चुकी है जो कि जीवन गैर जीवन तथा पुनः बीमा खण्डों में कार्य कर रहे हैं।

जीवन बीमा

5.59 वर्ष 2013-14 में बीमाकर्ताओं ने पहले वर्ष का 1,19,641 करोड़ रु. का निर्मांकन किया था। जो कि पिछले वर्ष 2012-13 में 1,07,361 करोड़ था, जो कि बीमा क्षेत्र में 11.44 की वृद्धि प्रदर्शित करता है। निजी क्षेत्र के बीमा के प्रीमियम में 4.01 प्रतिशत की कमी देखी गई जबकि एलआईसी ने 17.64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

गैर जीवन बीमा

5.60 वर्ष 2013-14 में गैर जीवन बीमा कर्ता जिसमें अकेले स्वास्थ्य बीमाकर्ता तथा विशेषीकृत (एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम (इसीजीसी) तथा एग्रीकल्चर इंशोरेंस कम्पनी (एआईसी) सम्मिलित है।) ने पिछले वर्ष 2012-13 में 69,089 करोड़ रु. की तुलना में 77,583 करोड़ मूल्य के प्रीमियम का बीमा किया जो कि 12.23 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है (सारणी 5.21)

सूक्ष्म बीमा

5.61 बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा जारी सूक्ष्म बीमा नियामकों ने जरूरतमंद क्षेत्रों में बीमा को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक प्रोत्साहन दिए हैं। 2011-12 की तुलना में 2012 की समाप्ति तक 35 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, सूक्ष्म बीमा क्षेत्र में 17,052 सूक्ष्म बीमा एजेंट कार्य कर रहे थे। सूक्ष्म जीवन बीमा में 50.36 लाख पॉलिसियों के अंतर्गत, व्यष्टिगत नया कारोबार प्रीमियम वर्ष में 109.68 करोड़ रुपए था जो कि 2011-12 में 46.20 लाख पॉलिसियों के अंतर्गत बढ़ गया 115.68 करोड़ रुपए से थोड़ा ही कम है। 2012-13 में 139.81 लाख जीवन के तहत समूह कारोबार की राशि 218.03 करोड़ प्रीमियम रहा।

बीमा अंतर्प्रवेश और सधनता

5.62 बीमा अंतर्प्रवेश को किसी दिए गए वर्ष में, अंतलिखित प्रीमियम के साथ स.घ.उ. के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसी प्रकार बीमा सधनता को किसी दिए गए वर्ष में अंतलिखित प्रीमियम के कुल जनसंख्या के साथ अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बीमा अंतर्प्रवेश 2000 में 2.3 प्रतिशत (1.8 प्रतिशत जीवन और 0.7 प्रतिशत गैर जीवन) से 2012 में 3.96 प्रतिशत (3.17 प्रतिशत जीवन और 0.78 प्रतिशत गैर जीवन) की वृद्धि हुई है।

पेंशन क्षेत्र

5.63 नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) जिसे अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कहा जाता है, को जनवरी 2004 को अथवा उसके बाद सरकारी सेवा में भर्ती होने वाले नए

	(प्रतिशत)	
	2012-13	2013-14
गैर-सरकारी बीमाकर्ता	25.26	15.37
सार्वजनिक बीमाकर्ता	14.60	9.86
स्रोत: बीमा नियामक तथा विकास प्रधिकरण		

सारणी 5.21 : सार्वजनिक तथा गैर-सरकारी बीमाकर्ता द्वारा अंतः लिखित प्रीमियम में वृद्धि

कर्मचारियों पर लागू किया गया। 07 मई, 2014 तक 51,139 करोड़ रुपए की आधरभूत निधि के साथ एनपीएस के अंतर्गत कुल 67.41 लाख लोगों का पंजीयन किया गया है। 01 मई, 2009 से एमपीएस को स्वैच्छिक आधार पर भारत के सभी नागरिकों हेतु खोला गया है। 2010 में आरंभ हुई स्वावलंबन योजना जिसे शुरू में 2010-11 में पंजीकृत हुए लाभभोगियों हेतु तीन वर्षों के लिए शुरू किया गया था को अब 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में पंजीकृत हुए लाभभोगियों हेतु पांच वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। अतः अब मूलभूत एनपीएस नमूने के कस्टोमाइज्ड वर्जन जिसे एनपीएस कंपनी क्षेत्र नमूना के नाम से जाना जाता है, को भी दिसम्बर, 2011 से शुरू किया गया ताकि व्यवस्थित क्षेत्र की संस्थाओं को उनके मौजूदा और भावी कर्मचारियों को एनपीएस के तहत इसके कंपनी नमूने से जोड़ा जा सके। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों जो एनपीएस हेतु उपस्थिति के बिन्दु की भी भूमिका निभाते हैं, से उनकी वेबसाइट पर ऐसे लिंक की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। जिससे व्यष्टिगत उपभोक्ता अपना एनपीएस खाता ऑनलाइन खोल सकते हैं।

5.64 पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएसआरडीए) अधिनियम, 2013 को सितंबर, 2013 में संसद द्वारा पारित किए जाने के उपरांत 01 फरवरी, 2014 से प्रभावी बना दिया गया है। पीएफआरडीए अधिनियम, 2014 पीएफआरडीए क

संवैधानिक स्तर की जिम्मेदारी दिलवाना चाहता है ताकि इस स्तर से वह अपनी विनियामक और विकासशील भूमिका को कारगर तरीके से निभा सके तथा एनपीएस के माध्यम से अभी तक किसी आर्थिक सुरक्षा से वंचित रहने वाले काम करने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर सके।

चुनौतियां और दृष्टिकोण

- वित्तीय बाजार नकदी की कमी से ग्रस्त रहते हैं;
- प्रमुख उद्देश्य बंधपत्र-मुद्रा-व्युत्पन्न (बीसीडी) नेक्सस का विकास इक्विटी बाजार की गुणवत्ता के स्तर जैसा होना चाहिए;
- बैंकों के तुलन-पत्र की गुणवत्ता के बारे में तथा गैर-वित्तीय फर्मों के सबसेट से जुड़ी चिंताएं होती हैं;
- अधिकतर घरेलू कार्य अभी भी वित्तीय व्यवस्था के व्यापक हिस्से से कटे हुए हैं। वित्तीय समादेशन की बैंक केन्द्रित अवधारणा का सीमित मान है।;
- अवसरंचनात्मक वित्तीयन की अगली लहर थी एक सक्षम बांड बाजार की आवश्यकता होगी;
- एफएसएलआरसी ने आईएफसी मसौदा प्रस्तावित किया है जो कि भारतीय वित्तीयन की समस्याओं को संबोधित करती है तथा एक आधुनिक वित्तीय व्यवस्था के लिए कार्यविधि तैयार करती है।

एनपीएस के तहत 66 लाख अभिदाता पंजीकृत किये जा चुके हैं।

आगे की दिशा

भारतीय वित्तीय संहिता

5.65 22 मार्च, 2013 को वित्तीय क्षेत्र के वैधानिक सुधार आयोग की रिपोर्ट, सरकार को प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट एफएसएलआरसी मसौदा, भारतीय वित्तीय संहिता अंतर्विष्ट था। आयोग ने आईएफसी विशेषज्ञों की समिति के एक दशक मतैक्य के आधार पर, आईएफसी कोड बनाया जो कि अधिकतर मौजूदा वित्तीय कानूनों को प्रतिस्थापित करता है। इसने भारतीय वित्तीय व्यवस्था की मौजूदा कमियों को संबोधित करके खोजा तथा यह आगे वाले 30 वर्षों की भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

बीसीडी गठजोड़ को विकसित करना एक प्राथमिकता है।

5.66 आईएफसी वित्तीय नियमन के लिए जहां आवश्यक हो स्पष्ट उद्देश्यों को जोड़ता है। ये हैं: उपभोक्ता संरक्षण, माइक्रो प्रूडेंशियल रेग्युलेशन, प्रस्तावना, व्यवस्थागत जोखिम कर्मा, व्यवस्थित, ऋण प्रबंधन, पूँजी नियंत्रण तथा मौद्रिक नीति। प्रत्येक क्षेत्र में, सक्षिप्त उद्देश्य बताए गए हैं तथा वित्तीय अभिकरणों को सक्षिप्त शक्तियां प्रदान की गई हैं।

5.67 आईएफसी औपचारिक प्रक्रिया पर अत्यधिक बल देता है जिसके माध्यम से वैधानिक, कार्यकारी तथा न्यायिक कार्य, वित्तीय नियामकों में स्थान ग्रहण करते हैं। कानून का शासन तथा उत्तरदायित्व के सिद्धांत, नियामकों के बीच जांच तथा संतुलन को बेहतर परिवेश के निर्माण में प्रयोग किये जाते हैं।

5.68 वर्तमान वित्तीय नियामक वास्तु, पिछली शताब्दी की घटनाओं के माध्यम से, किसी स्थिर नमूने के बिना सामने आए हैं। एफएसएलआरसी ने एक परिवर्तित वित्तीय नियामक वास्तु को तैयार किया है जो कि प्रत्येक संगठन के लिए उद्देश्य की स्पष्टता को प्राप्त करके उत्तरदायित्व को बढ़ावा देगी तथा हितों के विवाद को दूर रखेगी। परिवर्तित प्रबंध क्षेत्र तथा स्केल, निजी तथा सरकारी क्षेत्र के लिए संबंधित गतिविधियों की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने में भी सहायक सिद्ध होगी।

5.69 एफएसएलआरसी ने निर्णय लिया है कि जब तक आईएफसी ड्राफ्ट एक बिल है जिसे एफएसएलआरसी द्वारा प्रस्तावित बहुत से परिवर्तनों के लिए संसदीय कार्यवाही की आवश्यकता है, को किसी वैधानिक परिवर्तन के बिना स्वैच्छिक रूप से लागू किया जा सकता है। उत्कृष्ट व्यवहारों के लिए उदाहरण प्रदान करने तथा एफएसएलआरसी के द्वारा सुझाए गए उपायों के अनुपालन में वित्त मंत्रालय ने भारतीय वित्तीय व्यवस्था के मसौदे की गैर-वैधानिक तत्व तथा सुशासन संवर्धन को अपनाने पर एक पुस्तिका प्रकाशित की है।